न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 28/23 GCMS NO 2023/45

1. महेश पुत्र भगवान सिह जाटव
2. संजय पुत्र भगवान सिह जाटव
3. संता पत्नि भगवान सिह जाटव
4. अजय पुत्र भगवान सिह नाबालिंग जरिये संरक्षक माता संता
5. आशा पुत्री भगवान सिह नाबालिंग जरिये संरक्षक माता संता जातियान जाटव निवासीयान कंजोली तहसील टोडाभीम हाल मेडी तहसील वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. रूप सिह पुत्र कजोडी जाति जाटव निवासी मेडी हालवासी ग्राम नानकपुर तहसील रूपवास जिला भरतपुर
2. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील वजीरपुर

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 220/22 निर्णय दिनांक 12.1.23 न्यायालय उप जिला कलेक्टर, वजीरपुर)

अभिभाषक अपीला0 श्री श्याम मोहन शर्मा

अभिभाषक रैस्पो0 कोई उपस्थित नही

दिनांक 4.11.2024

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 12.1.23 न्यायालय उप जिला कलेक्टर, वजीरपुर पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांट/सायलान ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि अपीलांट/सायलान की सहखातेदारी की कृषि भूमि हाल खाता संख्या 232 के ख0न0 1308 रकबा 0.97 है0 वाके ग्राम मेडी तहसील वजीरुपर मे स्थित है। जिसको कब्जा काश्त कर सायलान/अपीलांट लाभान्वित होते चले आ रहे है। उक्त भूमि मे सायलान/अपीलांट के हिस्से से किसी अन्य का कोई संबंध वास्ता नही है। उक्त भूमि मे सायलान/अपीलांट का 1/40 –1/40 हिस्सा है तथा गैरसायल संख्या 1/रेस्पो0 का हिस्सा 1/2 है। उक्त भूमि सहखातेदारी मे होने से आये दिन कहासुनी होती रहती है। मौके पर सम्पूर्ण रकबे का एक ही खेत है। जिस पर जोत लगाने बुवाई करने पर कहासुनी होती ही रहती है। सायलान/अपीलांट सीधे साधे व्यक्ति है तथा रेस्पो/गेरसायल न0 1 बदमाश व चालाक किस्म का व्यक्ति है। जो लठ्ठ के बल पर अपीलांट/सायलान की भूमि को हडपना चाहता है। दिनांक 14.5.22 को गैरसायल न0 1/रेस्पो0 उक्त ख0न0 पर ट्रेक्टर लेकर गया तथा सायलान/अपीलांट के हिस्से में भी [illegible] सायलान/अपीलांट ने मना किया तो वह आग बबूला हो गया तथा गाली गलोच करने लगा एवं धमकी दी कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:53:34 IST
Reason: Self-Attested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अब मै इस भूमि को अन्य किसी लठठ वाले व्यक्ति को बेचान करूगा। तुम्हारी जमीन का हडप कर जाउगा। सायलान/अपीलांट ने भूमि का सहमति से बंटवारा करने की कहने पर साफ इंकार कर दिया। गैरसायल/रेस्पो/बिना बंटवारे के भूमि को बेचने पर आमादा है। अतः भूमि के बंटवारे होने तक गैरसायल/रेस्पो0 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि विवादित आराजीयात मे सायलान/अपीलांट के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की दखल नही करे ना ही अन्य से करावे तथा रहन बैचान नही करे। मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से अपीलांट/सायलान द्वारा चाही गई।

अधिनस्थ न्यायालय मे दिनांक 12.1.23 को वकील सायलान/अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र को विड्रो करने की अनुमति चाही गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को विड्रो किये जाने की अनुमति प्रदान की जाकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट/सायलान द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। रेस्पो0 संख्या 1 बाबजूद तामिल के उपस्थित नही हुए। बहस अपीलांट अधिवक्ता की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्व तरीके से प्रार्थना पत्र खारिज किया है। जबकि वास्तविकता यह है कि प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रकरण को विड्रो किये जाने का कोई कथन नही किया तथा हस्याप्रद बात यह है कि टी.आई. प्रार्थना पत्र को तो खारिज करवा लिया जबकि वाद पत्र अधिनस्थ न्यायालय मे जैरकार है। जो आपसी विरोधाभासी है। इस प्रकार निर्णय अधिनस्थ न्यायालय अपास्त योग्य है। ख0न0 1308 रकबा 0.97 है0 वाके ग्राम मेडी तहसील वजीरुपर प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि है। जिस पर कृषि कार्य कर लाभान्वित होते चले आ रहे है। रेस्पो0 रूपसिह जो रूपवास मे निवास करता है उक्त आराजीयात को अन्य दीगर को कब्जे के अभाव मे स्थानान्तरण करने पर आमादा है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यो की विवेचना किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। इस प्रकार अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय को अपास्त फरमाया जाकर पत्रावली पर उभयपक्ष को सुनकर पुनः मेरिट पर निर्णय पारित करने हेतु लौटाई जावे।

अपीलांट अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि प्रार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा वाद कारण उत्पन्न होना आदि का प्रस्तुत किया गया था। जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजीयात के बाबत आगामी पेशी तक अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। दिनांक 12.

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Bansal
Date: 2025.03.27 15:53:34 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

1.2023 की आदेशिका पर वकील श्री रवि कुमार यादव एवं संजय शर्मा के हस्ताक्षर मौजूद है। जिससे यह जाहिर है कि उभयपक्ष के अधिवक्ता की उपस्थिति मे अपीलाधीन आदेश पारित हुआ है, परन्तु पारित आदेश मे केवल मात्र प्रार्थना पत्र को विड्रो किये जाने का उल्लेख है ना कि प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वकील प्रार्थी को प्रार्थना पत्र को विड्रो किये जाने की अनुमति प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र को अंतिम रूप से खारिज किया गया है। जबकि मूल वाद अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन होना वकील अपीलांट द्वारा अवगत कराया है। यदि विड्रो किया जाना होता तो मूल वाद को भी विड्रो किया जाता। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विरोधाभासी निर्णय की श्रेणी मे आता है। मेरे मतानुसार प्रकरण का मेरिट पर निर्णय किये जाने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना उचित है।

अतःअपील अपीलांट रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय के मु0न0 220/2022 निर्णय दिनांक 12.1.23 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिया जाकर उभयपक्ष को साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का अंतिम निस्तारण करे।

निर्णय आज दिनांक 04.11.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोता)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:53:34 IST
Reason: SelfAttested